

बिहार सरकार

कृषि विभाग

MAIL/FAX

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-45/2014-278 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 28-03-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय : केन्द्रीय योजना "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल" अन्तर्गत बीज ग्राम योजना रब्बी 2014-15 में 2861.918 लाख रुपये (अठाईस करोड़ एकसठ लाख एकानवे हजार आठ सौ रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं तत्काल इसके अधीन 148.83 लाख रु० (एक करोड़ अड़तालिस लाख तेरासी हजार रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹1,48,83,000 (एक करोड़ अड़तालिस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-9/उपा/बीज/ विविध -25 / 2014 - 1557 दिनांक-27.03.2015 द्वारा केन्द्रीय योजना "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल" अन्तर्गत बीज ग्राम योजना रब्बी 2014-15 में 2861.918 लाख रुपये (अठाईस करोड़ एकसठ लाख एकानवे हजार आठ सौ रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं तत्काल इसके अधीन 148.83 लाख रु० (एक करोड़ अड़तालिस लाख तेरासी हजार रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹1,48,83,000 (एक करोड़ अड़तालिस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,48,83,000 (एक करोड़ अड़तालिस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष- 103-बीज, मांग संख्या-01, उपशीर्ष -0417- गुणवत्त बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण विपत्र कोड S2401001030417, विषयशीर्ष-3106 सहायक अनुदान वेतानादि के अलावा " में वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि. (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

रामजी

विश्वासभाज्य

(रामजी सिंह)

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

278(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 30-03-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

278(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 30-03-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/उप निदेशक (शष्प) फसल बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) प्रक्षेत्र बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) बीज बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

278(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 30-03-2015

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।